

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी— विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
153 / 2022

दायर दिनांक
09.12.2022

निर्णय दिनांक
24.01.2023

अनवान

1. खेमा पिता गंगाराम जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी घासलों का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।

—प्रार्थी

बनाम

1. गोकल पिता गंगाराम जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी घासलों का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
2. मदन पिता पेमा जाति बावरी उम्र वयस्क निवासी घासलों का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
3. रूपा पिता कसना जाति कीर उम्र वयस्क निवासी कीरखेडा (चाकूडा) तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)। (विलोपित)
4. नाथु पिता कसना जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी कीरखेडा (चाकूडा) तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)। (विलोपित)
5. मदनलाल पिता हजारी जाति गर्ग उम्र वयस्क निवासी घासलों का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
6. प्रथा पिता गंगाराम जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी घासलों का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थी

उपस्थिति:— अधिवक्ता श्री डालचन्द जाट

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम::—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा घासलों का खेड़ा पटवार हल्का चाकूडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 144 में अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 16, 17 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.53 है0 स्थित है। जो प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर-बहस के पडौसी खातेदारा न हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात की मौके पर

अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावें।
प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 24.01.2023 को अप्रार्थी सं0 1, 2, 5 व 6 के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी। व अप्रार्थी सं0 3 व 4 के खिलाफ कार्यवाही ड्राप हेतु वकील प्रार्थी ने निवेदन कर आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। बहस एकतरफा बाबत निवेदन किया। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को एक तरफा सुना गया। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजीयात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर-बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा घासलों का खेडा पटवार हल्का चाकूडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 144 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 16, 17 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.53 है0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 24.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन